दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, 2025 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार

नई दिल्ली - 110003

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

1. परिचय

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 86 केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि (इसके बाद इसे निधि के रूप में संदर्भित किया जाएगा) का गठन करने का अधिदेश देती है। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 10.01.2018 के कार्यालय आदेश के जरिए राष्ट्रीय निधि का गठन किया। यह निधि 18.04.2018 से भारतीय न्यास अधिनियम के तहत एक न्यास के रूप में कार्य कर रही है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का अध्याय X निधि के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित है।

इस निधि का सृजन अगस्त, 1983 में गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि और नवम्बर, 2006 में गठित नि:शक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस निधि को आरबीआई में सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) या बॉन्ड के रूप में निवेश किया जाता है। इस निधि से अर्जित ब्याज का उपयोग उपर्युक्त आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

इस निधि के शासी निकाय ने **11.01.2024, 04.07.2024** और **08.04.2025** को आयोजित अपनी बैठकों में इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की। इस शासी निकाय के अनुमोदन के साथ, अब राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता के विचारार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

(i) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों (पेंटिंग), हस्तशिल्प आदि सहित इन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां/कार्यशालाएं।

(ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल या ललित कला/संगीत/नृत्य आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति। एक वित्तीय वर्ष में इसी तरह की गतिविधि के लिए राष्ट्रीय आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए सहायता केवल एक बार दी जाएगी।

(iii) मामले-दर-मामले आधार पर राज्यों द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों पर, मूल्यांकन बोर्डों द्वारा

की गई सिफारिशों के अनुसार, उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं।

(iv) बेंचमार्क दिव्यांगजन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / सेमिनारों / संगोष्ठियों (सिम्पोसिया)/ कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अकादमिक और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।

(v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता।

(vi) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और सीबीएसई/आईसीएसई तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों के अंतर्गत XI और XII कक्षा के लिए, विशेष रूप से दृष्टिहीन/बधिर/आईडी स्कूलों के लिए, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजिनियरिंग और गणित) की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(vii) दिव्यांगता खेल केंद्र द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एथलीटों, कोच और एस्कॉर्ट्स की यात्रा, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था (बोर्डिंग और लॉजिंग)।

(viii) राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों का अध्ययन करने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 100% बधिर (कोक्लियर इम्प्लांट के बिना) और 100% दृष्टिहीन छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति।

2. उद्देश्य

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रासंगिक कतिपय ऐसे मुख्य क्षेत्रों, जो सरकार के बजटीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के लिए इस निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।

3. इस योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक

क. दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित इन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां/कार्यशालाएं।

उद्देश्य – दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित इन उत्पादों को प्रदर्शित करने के

लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर प्रदर्शनी/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना (दिव्यांगजनों का वही अर्थ होगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है)। दिव्यांग बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समावेशी/विशेष स्कूलों में आयोजनों को आयोजित करने के प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पात्रता –

क) सोसायटी अधिनियम/कंपनी अधिनियम/न्यास अधिनियम/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कोई भी संगठन और उस संगठन को विपणन उत्पादों/चित्रों में प्रदर्शनी/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो।

ख) आवेदक संगठन को किसी अन्य स्रोत से उसी उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। इस आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

ग) इस श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठन वैकल्पिक वर्ष में पुनः सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

घ) पिछले दो वित्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस गैर सरकारी संगठन को अपने कुल वित्त पोषण (अर्थात कुल आय) का न्यूनतम 20% परोपकार/दान या निजी कंपनियों के सीएसआर के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए।

ङ) गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय निधि दिशानिर्देशों के इस घटक के तहत उल्लिखित अधिकतम सीमा के अधीन अपने कुल प्रस्तावित बजट का अधिकतम 50% तक अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। शेष 50% निधि का प्रबंध गैर सरकारी संगठनों द्वारा अन्य स्रोतों से किया जाएगा।

वित्तीय सहायता की सीमा – वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगें :

क) कार्यक्रम (ईवेंट) के आयोजन के लिए स्थापना लागत, जिसमें आयोजन स्थल की व्यवस्था करने की लागत, अपने उत्पादों/चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किए गए प्रतिभागी दिव्यांगजनों की टीए/डीए, परिवहन लागत आदि शामिल हैं।

ख) अतिरिक्त प्रचालन-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) की लागत जैसे एलसीडी स्क्रीन, लाइट, संगीत आदि की व्यवस्था।

ग) अनुदान का 50% अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा और शेष 50% कार्यक्रम के पूरा होने और उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।

घ) राष्ट्रीय स्तर के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता **20 लाख रुपये**, क्षेत्रीय स्तर के लिए **15 लाख रुपये** [पांच क्षेत्रों, अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र (इसमें शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं - केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित), उत्तरी क्षेत्र (इसमें शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं- दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान), पश्चिमी क्षेत्र (इसमें शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं - महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़), पूर्वी क्षेत्र (इसमें शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं - ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और झारखंड), पूर्वोत्तर क्षेत्र (इसमें शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं - असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा)] और राज्य स्तर के लिए **10 लाख रुपये** अधिकतम वित्तीय सहायता होगी ।

नोट: यदि प्रदर्शनी को उस क्षेत्र में कम से कम तीन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह आयोजित किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय स्तर के रूप में माना जाएगा।

आवेदन कैसे करें – पात्र संगठनों को प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इस संगठन को इस आयोजन के समापन के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा।

अनुमोदन प्राधिकारी – आवेदक संगठन, शासी निकाय - जो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, द्वारा अपेक्षित समझे जाने पर, एक प्रस्तुति देगा।

ख. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल/ ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / थिएटर / साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों की सहायता करना।

उद्देश्य – बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना:

क. मान्यता देने वाले निकायों/ प्रमाणन संस्थानों से इन कलाओं में प्रदर्शन पर सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त किया हो या पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक बार राज्य स्तर पर खेल / सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले तीन रैंकों में से एक स्थान प्राप्त किया हो।

ख. ग्लोबल आईटी चैलेंज में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगिता – राष्ट्रीय आईटी चैंलेंज में सहभागिता करने के लिए 13-21 आयु वर्ग के

(कॉलेज/विश्वविद्यालय ना जाने वाले) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले युवा।

पात्रता –

क. बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त कोई भी व्यक्ति (40% या उससे अधिक दिव्यांगता ग्रस्त) जो पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक बार राज्य स्तर पर आयोजित खेल आयोजन में पहले तीन रैंकों में से था; अथवा

ख. दिव्यांगता ग्रस्त कोई भी कलाकार जिसे पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्कृष्ट या होनहार प्रदर्शक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी। इसके बाद, शासी निकाय इस बात की समीक्षा करेगा कि आय सीमा को फिर से लागू किया जाए या नहीं।

घ. आवेदक ने उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य स्रोत से उसी उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है। आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

ङ. दिव्यांगजन को इस निधि से एक ही तरह की गतिविधि के लिए अनुदान एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार - एक राष्ट्रीय आयोजन और एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए दिया जाएगा।

वित्तीय सहायता की सीमा - वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

क. दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यदि वह राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अकेले यात्रा करने में असमर्थ है तो एक एस्कॉर्ट के साथ द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल यात्रा का किराया (सबसे छोटा मार्ग) और प्रति व्यक्ति के भोजन और आवास के लिए प्रति दिन 2500 रुपये की राशि ।

ख. अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के मामले में, इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया (सबसे छोटा मार्ग) और आयोजन की पूरी अवधि के लिए प्रति दिन 4000 रुपये की राशि।

आवेदन कैसे करें – पात्र आवेदक प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक को आयोजन के समापन के 15 दिनों के भीतर बिल, टिकट, बोर्डिंग पास, वीजा शुल्क की रसीद, भागीदारी का प्रमाण और इस आयोजन के पंजीकरण शुल्क रसीद आदि को जमा करना होगा।

अनुमोदन प्राधिकारी – आवेदक को शासी निकाय, जो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, द्वारा यदि अपेक्षित हो, तो एक प्रस्तुतिकरण देना होगा।

ग. **मूल्यांकन बोर्डों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताओं में सहायता ।**

उद्देश्य - उच्च सहायता की आवश्यकता वाले बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों की मदद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उनकी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पात्रता –

- उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त ऐसे व्यक्ति जिसकी सिफारिश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई हो।
- दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए इस घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी। इसके बाद, शासी निकाय आगे के संशोधनों, यदि कोई हो, के लिए इस प्रावधान की समीक्षा कर सकता है ।
- आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आवेदक ने किसी अन्य स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है।

वित्तीय सहायता की सीमा - वित्तीय सहायता दैनिक जीवन की गतिविधि में सुधार हेतु विशेष रूप से निर्मित उपकरण की वास्तविक लागत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। एलिम्को (डीईपीडब्ल्यूडी के तहत एक सीपीएसई) के पास उपलब्ध सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद किसी अन्य स्रोत से करने की अनुमति नहीं होगी।

आवेदन कैसे करें – पात्र आवेदक प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। यदि शासी निकाय एलिम्को के अलावा किसी अन्य स्रोत से सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद हेतु अनुमति देता है, तो आवेदक को उस उपकरण की खरीद से 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।

अनुमोदन प्राधिकारी - शासी निकाय प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

घ. **ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति को वित्तीय सहायता जिसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनार /सिम्पोसिया/कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु शैक्षिणिक और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।**

उद्देश्य – ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिसने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलनों / सेमिनारों / सिम्पोसिया / कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए शैक्षणिक और

तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

पात्रता–

क. विदेश मंत्रालय/विश्वविद्यालयों/मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों/यूजीसी/आरसीआई या किसी अन्य विनियामक से मान्यता प्राप्त कॉलेज द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान/संस्थान में कार्यरत संकाय (फैकल्टी), और पीएचडी डिग्री धारक या अनुसंधान के अंतिम चरण में पीएचडी करने वाले आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

ख. ऐसे स्वतंत्र विद्वान (स्कॉलर) जिसके पास पर्याप्त अनुसंधान अनुभव और प्रदर्शन योग्य प्रकाशित रिकॉर्ड है, वे भी आवेदन कर सकते हैं ।

ग. आवेदक के पास एकल या लीड लेखक के रूप में प्रस्तुतिकरण के लिए एक स्वीकृत पेपर होना चाहिए।

घ. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने उसी वित्त वर्ष के दौरान किसी अन्य स्रोत से उसी उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है।

वित्तीय सहायता की सीमा - वित्तीय सहायता में अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त अभ्यर्थी के लिए, यदि वह अकेले यात्रा करने में असमर्थ है तो उसके साथ एक एस्कॉर्ट के लिए भी जाने-आने के लिए इकॉनमी क्लास का हवाई किराया (सबसे छोटे मार्ग से) और आयोजन की पूरी अवधि के लिए एक व्यक्ति हेतु प्रति दिन 4000/- रुपये की राशि शामिल होगी।

नोट: अभ्यर्थी जिसने इस श्रेणी के तहत वित्तीय सहायता एक बार प्राप्त कर ली है, वह पुन: आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन कैसे करें – पात्र आवेदक प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है । आवेदक को आयोजन के संपन्न होने के 15 दिनों के भीतर बिल, टिकट, बोर्डिंग पास, वीजा शुल्क की रसीद, भाग लेने का प्रमाण और आयोजन के पंजीकरण शुल्क की रसीद प्रस्तुत करनी है।

अनुमोदन प्राधिकारी – आवेदक को, शासी निकाय जो प्रस्ताव को मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा, द्वारा यदि आवश्यक हो, तो एक प्रस्तुतिकरण देना होगा।

ङ. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता।

उद्देश्य – पर्पल फेस्ट के अनुरूप दिव्यांगजनों के संबंध में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

वित्तीय सहायता की सीमा –

राष्ट्रीय स्तर हेतु	कुल व्यय का 50% बशर्ते इसकी सीमा 3 करोड़ रुपये तक हो।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए	कुल व्यय का 50% बशर्ते इसकी सीमा 5 करोड़ रुपये तक हो।

आवेदन कैसे करें - पात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रस्ताव को ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आयोजन के संपन्न होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि जमा करना है।

नोट: यदि एक वित्त वर्ष में, इसके लिए एक से अधिक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र इच्छुक हैं तो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच चुनौती प्रणाली के आधार पर एक को ही चुना जाएगा।

अनुमोदन प्राधिकारी - शासी निकाय, जो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, द्वारा यदि आवश्यक हो तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक प्रस्तुतिकरण देना होगा।

च. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और सीबीएसई/आईसीएसई तथा अन्य केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों के अंतर्गत आने वाले ऐसे दृष्टिहीन/बधिर/आईडी स्कूलों, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले कम से कम 10 बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, के लिए कक्षा XI और XII के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की), प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण। समावेशी स्कूलों के लिए विशेष आवश्यकता वाले न्यूनतम 50 बच्चे होने चाहिए और विशेष आवश्यकता वाले न्यूनतम 10 बच्चों ने 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

उद्देश्य: - विशेष रूप से कक्षा XI और XII में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एसटीईएम प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता -

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और सीबीएसई/आईसीएसई और अन्य केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों के तहत ऐसे दृष्टिहीन/बधिर/आईडी स्कूल – जिनमें विशेष आवश्यकता वाले न्यूनतम 10 बच्चों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
- समावेशी स्कूल - विशेष आवश्यकता वाले न्यूनतम 50 बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले न्यूनतम 10 ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

प्रावधान -

- 11वीं और 12वीं कक्षा में एसटीईएम प्रयोगशालाएं बनाने के लिए ऐसे प्रत्येक स्कूल (एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 स्कूल) को अधिकतम 5 लाख रुपये या वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, एकबारगी सहायता अनुदान का प्रावधान है। यह राशि प्रयोगशाला सुविधाओं (इसमें भवन अवसंरचना शामिल नहीं होगी) के निर्माण पर खर्च की जाएगी।
- अनुदान दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। दूसरी किस्त उपयोग प्रमाण पत्र, समर्थित रसीदों, स्कूल के प्रमुख से प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

आवेदन कैसे करें -

- प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- स्कूल के प्रमुख को काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि जमा करना आवश्यक होगा।

अनुमोदन प्राधिकारी – प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए शासी निकाय सक्षम प्राधिकारी होगा।

छ. दिव्यांग खेल केंद्र द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एथलीटों, कोचों और एस्कॉर्ट्स की यात्रा, भोजन और आवास।

उद्देश्य - दिव्यांगता खेल केंद्र (सीडीएस) को लोकप्रिय बनाने के लिए, दिव्यांग एथलीटों, एस्कॉर्ट्स (जहां भी आवश्यक हो) और कोचों को उनके भोजन और आवास हेतु दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पात्रता -

- निदेशक, सीडीएस की सिफारिश पर वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, **31 मार्च 2026** तक सीडीएस आयोजनों में भाग लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी। शासी निकाय बाद में उक्त समय सीमा की समीक्षा करेगा।
- आवेदक ने किसी अन्य स्रोत से उसी आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नही की हो या आवेदन नहीं किया हो। आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- वित्तीय सहायता एक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में केवल एक बार दी जाएगी।
- वित्तीय सहायता शुरू में केवल **31 मार्च 2026** तक उपलब्ध होगी। शासी निकाय बाद में उक्त समय सीमा की समीक्षा करेगा।

वित्तीय सहायता की सीमा –

- यात्रा – वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया। हालांकि, रेल यात्रा की अवधि 12 घंटे या उससे अधिक होने पर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
- भोजन और आवास – वास्तविक आधार पर या 2500 रुपये प्रति दिन, जो भी कम हो।

नोट - चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर एक एस्कॉर्ट की अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी - चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर एक एस्कॉर्ट की अनुमति दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें -

- निदेशक सीडीएस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- सीडीएस को आयोजन के समापन के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि जमा करने की आवश्यकता होगी।

अनुमोदन प्राधिकारी – शासी निकाय प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

ज. राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों **का अध्ययन करने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 100% बधिर (कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना) और 100% दृष्टिहीन छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति ।**

उद्देश्य: - राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12 वीं तक एसटीईएम विषयों की पढ़ाई करने वाले 100% बधिर (कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना) और 100% दृष्टिहीन छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए एनआई / सीआरसी को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

पात्रता:-

- केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।
- 100% दृष्टिहीन एवं 100% बधिर (कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना) ऐसे छात्र जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक एसटीईएम विषयों की पढ़ाई कर रहे हो।
- सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय- 8 लाख रुपये तक हो।
- एक निश्चित वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1000 विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।
- उसी के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाइपेंड का लाभ न उठाना
- एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वाँ है, तो योजना के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति जुड़वाँ को भी दी जाएगी।

वित्तीय सहायता की सीमा:–

प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो।

आवश्यक दस्तावेज:-

- उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड/नामांकन संख्या।
- उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
- स्कूल पहचान पत्र या वास्तविक प्रमाण पत्र।
- कक्षा 8, 9, 10, या 11 की अंकतालिका (जैसा लागू हो)।
- स्कूल के संबद्धता पत्र (एफिलिएशन लेटर) की प्रति।

- उसी पाठ्यक्रम के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाइपेंड का लाभ न लेने के संबंध में स्व-घोषणा।

आवेदन कैसे करें - सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केंद्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनुमोदन प्राधिकारी :- शासी निकाय प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

4. योजना के अंतर्गत सभी अनुमोदित संगठनों/व्यक्तियों पर लागू शर्तें

i. आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ii. दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी कार्ड संख्या या यूडीआईडी नामांकन संख्या अनिवार्य है। हालांकि, उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के आवेदनों के मामले में, यूडीआईडी कार्ड संख्या अनिवार्य होगा।

iii. जब भी किसी संगठन को वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया जाता है, तो संगठन को आयोजन के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। देरी होने पर, दूसरी किस्त को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उस संगठन को दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय निधि से वित्तीय सहायता के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

iv. आयोजन के दौरान संगठन को डीईपीडब्ल्यूडी/राष्ट्रीय निधि लिंक पर रियल टाइम फोटो (जियो-टैग और टाइम स्टैम्प के साथ) और वीडियो अपलोड करने चाहिए। मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता को आयोजन की वेबसाइट, ब्रोशर, स्टैंडियों आदि में स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए।